

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.																																												
18	<p>Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)</p>	<p>प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, उप महाप्रबंधक (परियोजना), गेल इण्डिया लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) को प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन निर्माण कार्य हेतु निम्नानुसार वनमंडलवार कुल रकबा 15.690 हे. वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है :-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>क्र</th> <th>वनमंडल का नाम</th> <th>वनभूमि का रकबा (हे.में)</th> <th>नारंगी वनभूमि का रकबा(हे.में)</th> <th>राजस्व वनभूमि का रकबा (हे.में)</th> <th>योग रकबा (हे. में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>खैरागढ़</td> <td style="text-align: center;">4.687</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">0.516</td> <td style="text-align: center;">5.203</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>बिलासपुर</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">0.019</td> <td style="text-align: center;">0.019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>कोरबा</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">2.087</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">2.087</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>जांजगीर-चांपा</td> <td style="text-align: center;">3.928</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">0.877</td> <td style="text-align: center;">4.805</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>रायगढ़</td> <td style="text-align: center;">0.949</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">2.627</td> <td style="text-align: center;">3.576</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">योग</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">9.564</td> <td style="text-align: center;">2.087</td> <td style="text-align: center;">4.039</td> <td style="text-align: center;">15.690</td> </tr> </tbody> </table>	क्र	वनमंडल का नाम	वनभूमि का रकबा (हे.में)	नारंगी वनभूमि का रकबा(हे.में)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे.में)	योग रकबा (हे. में)	1	खैरागढ़	4.687	-	0.516	5.203	2	बिलासपुर	-	-	0.019	0.019	3	कोरबा	-	2.087	-	2.087	4	जांजगीर-चांपा	3.928	-	0.877	4.805	5	रायगढ़	0.949	-	2.627	3.576	योग	-	9.564	2.087	4.039	15.690
क्र	वनमंडल का नाम	वनभूमि का रकबा (हे.में)	नारंगी वनभूमि का रकबा(हे.में)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे.में)	योग रकबा (हे. में)																																							
1	खैरागढ़	4.687	-	0.516	5.203																																							
2	बिलासपुर	-	-	0.019	0.019																																							
3	कोरबा	-	2.087	-	2.087																																							
4	जांजगीर-चांपा	3.928	-	0.877	4.805																																							
5	रायगढ़	0.949	-	2.627	3.576																																							
योग	-	9.564	2.087	4.039	15.690																																							

Signature

Date : 04 -05-2023

Place : Raipur

Name -
Designation -


(Manoj Kumar Pingua)
 Principal Secretary
 Government of Chhattisgarh
 Deptt. of Forest & Climate Change
 Mantralaya, Nawa Raipur
 Principal Secretary,

C.G. Govt.,

Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-09/2023/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक ०९/०५/२०२३

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ 492015।

विषय: - आवेदक संस्थान, कार्यपालन उप महाप्रबंधक (परियोजना), गेल (इण्डिया) लिमिटेड, तेलीबांधा रायपुर का राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा तथा रायगढ़ जिले के खैरागढ़, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा तथा रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत 18 इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु 15.690 हे. वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-934/909, दिनांक 17.04.2023।

—00—

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :-

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप																																										
1	<p>आवेदक विभाग का मांग पत्र - आवेदक संस्थान द्वारा 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन निर्माण कार्य हेतु वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि की मांग की गई है। वनमंडलवार विवरण निम्नानुसार है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>वनमंडल का नाम</th> <th>वनभूमि का रकबा (हे.में)</th> <th>नारंगी वनभूमि का रकबा(हे.में)</th> <th>राजस्व वनभूमि का रकबा (हे.में)</th> <th>योग रकबा (हे. में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>खैरागढ़</td> <td>4.687</td> <td>—</td> <td>0.516</td> <td>5.203</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>बिलासपुर</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>0.019</td> <td>0.019</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>कोरबा</td> <td>—</td> <td>2.087</td> <td>—</td> <td>2.087</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>जांजगीर-चांपा</td> <td>3.928</td> <td>—</td> <td>0.877</td> <td>4.805</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>रायगढ़</td> <td>0.949</td> <td>—</td> <td>2.627</td> <td>3.576</td> </tr> <tr> <td colspan="2">योग -</td> <td>9.564</td> <td>2.087</td> <td>4.039</td> <td>15.690</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.	वनमंडल का नाम	वनभूमि का रकबा (हे.में)	नारंगी वनभूमि का रकबा(हे.में)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे.में)	योग रकबा (हे. में)	1	खैरागढ़	4.687	—	0.516	5.203	2	बिलासपुर	—	—	0.019	0.019	3	कोरबा	—	2.087	—	2.087	4	जांजगीर-चांपा	3.928	—	0.877	4.805	5	रायगढ़	0.949	—	2.627	3.576	योग -		9.564	2.087	4.039	15.690	1 - 22
क्र.	वनमंडल का नाम	वनभूमि का रकबा (हे.में)	नारंगी वनभूमि का रकबा(हे.में)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे.में)	योग रकबा (हे. में)																																							
1	खैरागढ़	4.687	—	0.516	5.203																																							
2	बिलासपुर	—	—	0.019	0.019																																							
3	कोरबा	—	2.087	—	2.087																																							
4	जांजगीर-चांपा	3.928	—	0.877	4.805																																							
5	रायगढ़	0.949	—	2.627	3.576																																							
योग -		9.564	2.087	4.039	15.690																																							
2	<p>प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) - उक्त प्रकरण के लिये रजिस्ट्रेशन क्रमांक -FP/CG/Other/154619/2022 आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रु. 35,000/- का डी.डी. जमा कराया गया है जिसे वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के पी.डी. खाता 8443-106 व्यक्तिगत जमा में चालान क्रमांक 17 दिनांक 29.09.2022 के माध्यम से जमा कराया गया है।</p>	23 - 30																																										

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप																																										
3	<p>वन क्षेत्र का विवरण - प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन निर्माण कार्य में निम्नानुसार वन भूमि/नारंगी वन एवं राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है वनमंडलवार विवरण निम्नानुसार है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>वनमंडल का नाम</th> <th>वनभूमि का रकबा (हे.में)</th> <th>नारंगी वनभूमि का रकबा(हे.में)</th> <th>राजस्व वनभूमि का रकबा (हे.में)</th> <th>योग रकबा (हे. में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>खैरागढ़</td> <td>4.687</td> <td>—</td> <td>0.516</td> <td>5.203</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>बिलासपुर</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>0.019</td> <td>0.019</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>कोरबा</td> <td>—</td> <td>2.087</td> <td>—</td> <td>2.087</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>जाँजगीर-चांपा</td> <td>3.928</td> <td>—</td> <td>0.877</td> <td>4.805</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>रायगढ़</td> <td>0.949</td> <td>—</td> <td>2.627</td> <td>3.576</td> </tr> <tr> <td colspan="2">योग -</td> <td>9.564</td> <td>2.087</td> <td>4.039</td> <td>15.690</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त वनमंडलवार मांग की गई भूमि के लिये आवेदक संस्थान द्वारा पृथक-पृथक डी.जी.पी.एस. सर्वे कार्य कराया गया है। वनमंडलवार प्रस्ताव के साथ पृथक-पृथक सर्वे रिपोर्ट संलग्न है।</p>	क्र.	वनमंडल का नाम	वनभूमि का रकबा (हे.में)	नारंगी वनभूमि का रकबा(हे.में)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे.में)	योग रकबा (हे. में)	1	खैरागढ़	4.687	—	0.516	5.203	2	बिलासपुर	—	—	0.019	0.019	3	कोरबा	—	2.087	—	2.087	4	जाँजगीर-चांपा	3.928	—	0.877	4.805	5	रायगढ़	0.949	—	2.627	3.576	योग -		9.564	2.087	4.039	15.690	31 - 37
क्र.	वनमंडल का नाम	वनभूमि का रकबा (हे.में)	नारंगी वनभूमि का रकबा(हे.में)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे.में)	योग रकबा (हे. में)																																							
1	खैरागढ़	4.687	—	0.516	5.203																																							
2	बिलासपुर	—	—	0.019	0.019																																							
3	कोरबा	—	2.087	—	2.087																																							
4	जाँजगीर-चांपा	3.928	—	0.877	4.805																																							
5	रायगढ़	0.949	—	2.627	3.576																																							
योग -		9.564	2.087	4.039	15.690																																							
4	<p>गैर वन क्षेत्र का विवरण - प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन निर्माण कार्य में प्रभावित हो रहे गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि का विवरण वनमंडलवार निम्नानुसार है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>वनमंडल का नाम</th> <th>गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि का रकबा (हे. में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>खैरागढ़</td> <td>161.375</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>बिलासपुर</td> <td>77.225</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>कोरबा</td> <td>21.269</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>जाँजगीर-चांपा</td> <td>130.543</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>रायगढ़</td> <td>124.676</td> </tr> <tr> <td colspan="2">योग</td> <td>515.088</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.	वनमंडल का नाम	गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि का रकबा (हे. में)	1	खैरागढ़	161.375	2	बिलासपुर	77.225	3	कोरबा	21.269	4	जाँजगीर-चांपा	130.543	5	रायगढ़	124.676	योग		515.088	38 - 48																					
क्र.	वनमंडल का नाम	गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि का रकबा (हे. में)																																										
1	खैरागढ़	161.375																																										
2	बिलासपुर	77.225																																										
3	कोरबा	21.269																																										
4	जाँजगीर-चांपा	130.543																																										
5	रायगढ़	124.676																																										
योग		515.088																																										
5	<p>प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:15000 स्केल पर - प्रस्तावित वन क्षेत्र से संबंधित वन आवरण मानचित्र एफ.एम.आई.एस. द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसे संबंधित वन मंडलाधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है। मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।</p>	49 - 71																																										
6	<p>वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप - प्रस्तावित वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि के वनक्षेत्र का इन्डेक्स मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।</p>	72 - 76																																										
7	<p>प्रपत्र-4 में प्रस्ताव - प्रपत्र-IV में परियोजना की प्रशासकीय लागत 1446.89 करोड़ रु. है। यूजर एजेंसी ने यह भी पुष्टि की है कि उनके द्वारा उक्त गैर वानिकी परियोजना हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण वन क्षेत्र में व्यपवर्तन हेतु आवेदन किया है वन भूमि की मांग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। इस हेतु संबंधित प्रपत्र-IV संलग्न है।</p>	77 - 117																																										
8	<p>प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप - प्रोजेक्ट पर यूजर एजेंसी द्वारा दी गई विस्तृत टीप संलग्न है।</p>	118 - 138																																										
9	<p>वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र - उक्त प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रायपुर वनमंडल के अधीन समतुल्य शासकीय राजस्व भूमि ग्राम भलेरा, प.ह.नं. 62, खसरा नं. 926 की 18.000 हे. प्रस्तावित की गई है। इस हेतु आवेदक संस्थान द्वारा 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण योजना के अनुसार निर्धारित की जाने वाली राशि जमा करने संबंधी वचन पत्र दिया गया है जो संलग्न है।</p>	139 - 143																																										

Kajal

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप																																													
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र – यूजर एजेंसी द्वारा जारी किया गया न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	144 – 148																																													
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र – इस प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान का पत्र संलग्न है।	149 – 171																																													
12	वृक्ष विदोहन विवरण – प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन निर्माण कार्य में प्रभावित हो रही 15.690 हे. वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि में वृक्षों का विदोहन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वनमंडलवार वृक्ष विदोहन का विवरण निम्नानुसार है :- <table border="1" data-bbox="247 548 1292 918"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र.</th> <th rowspan="2">भूमि का प्रकार</th> <th colspan="5">वनमंडलवार विदोहन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या</th> <th rowspan="2">योग</th> </tr> <tr> <th>खैरागढ़</th> <th>बिलासपुर</th> <th>कोरबा</th> <th>जांजगीर-चांपा</th> <th>रायगढ़</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>वनभूमि</td> <td>1271</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>237 एवं 1 नग बांसभिरा</td> <td>371</td> <td>1879</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>नारंगी वनभूमि</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>राजस्व वनभूमि</td> <td>21</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td colspan="2">योग</td> <td>1292</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>237</td> <td>371</td> <td>1900</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त वनमंडलों में प्रभावित हो रहे वृक्षों की वृक्ष विदोहन योजना वनमंडलवार पृथक-पृथक प्रस्ताव के साथ संलग्न है।</p>	क्र.	भूमि का प्रकार	वनमंडलवार विदोहन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या					योग	खैरागढ़	बिलासपुर	कोरबा	जांजगीर-चांपा	रायगढ़	1	वनभूमि	1271	–	–	237 एवं 1 नग बांसभिरा	371	1879	2	नारंगी वनभूमि	–	–	–	–	–	–	3	राजस्व वनभूमि	21	–	–	–	–	21	योग		1292	–	–	237	371	1900	172 – 223
क्र.	भूमि का प्रकार			वनमंडलवार विदोहन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या						योग																																					
		खैरागढ़	बिलासपुर	कोरबा	जांजगीर-चांपा	रायगढ़																																									
1	वनभूमि	1271	–	–	237 एवं 1 नग बांसभिरा	371	1879																																								
2	नारंगी वनभूमि	–	–	–	–	–	–																																								
3	राजस्व वनभूमि	21	–	–	–	–	21																																								
योग		1292	–	–	237	371	1900																																								
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नियम 2003 के उपनियम पार्ट बी 12 तथा भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.08.2017 के प्रावधानों के तहत प्रकरण 20.000 हे. से कम का होने के कारण प्रस्ताव में कास्ट बेनिफिट एनालाईसिस प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का संबंधित वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	224 – 241																																													
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि/राजस्व वन क्षेत्र – प्रकरण में मांग की गई गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि एवं राजस्व वनभूमि का वन मंडलवार विवरण निम्नानुसार है :- <table border="1" data-bbox="271 1355 1292 1780"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>वनमंडल का नाम</th> <th>गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि का रकबा (हे. में)</th> <th>राजस्व वनभूमि का रकबा (हे. में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>खैरागढ़</td> <td>161.375</td> <td>0.516</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>बिलासपुर</td> <td>77.225</td> <td>0.019</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>कोरबा</td> <td>21.269</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>जाँजगीर-चांपा</td> <td>130.543</td> <td>0.877</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>रायगढ़</td> <td>124.676</td> <td>2.627</td> </tr> <tr> <td colspan="2">योग –</td> <td>515.088</td> <td>4.039</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.	वनमंडल का नाम	गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि का रकबा (हे. में)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे. में)	1	खैरागढ़	161.375	0.516	2	बिलासपुर	77.225	0.019	3	कोरबा	21.269	–	4	जाँजगीर-चांपा	130.543	0.877	5	रायगढ़	124.676	2.627	योग –		515.088	4.039	242 – 250																	
क्र.	वनमंडल का नाम	गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि का रकबा (हे. में)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे. में)																																												
1	खैरागढ़	161.375	0.516																																												
2	बिलासपुर	77.225	0.019																																												
3	कोरबा	21.269	–																																												
4	जाँजगीर-चांपा	130.543	0.877																																												
5	रायगढ़	124.676	2.627																																												
योग –		515.088	4.039																																												
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा – 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के कार्य के अंतर्गत गैर वन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र का नक्शा प्रस्ताव में संलग्न है।	251 – 256																																													
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना – आवेदक संस्थान गेल इंडिया द्वारा आवेदक संस्थान द्वारा ग्राम भलेरा प.ह.नं. 62 रा. नि. व. तह. आरंग जिला रायपुर के खसरा नं. 926 का रकबा 32.130 हे. शासकीय राजस्व भूमि में से रकबा 18.000 हे0 राजस्व भूमि 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिए उपलब्ध कराये जाने का विनिश्चय किया गया है।	257 – 280																																													

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप																																
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र - आवेदक संस्थान द्वारा ग्राम भलेरा प.ह.नं. 62 रा. नि. व. तह. आरंग जिला रायपुर के खसरा नं. 926 का रकबा 32.130 हे. शासकीय राजस्व भूमि में से रकबा 18.000 हे० राजस्व भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिए उपलब्ध कराये जाने का विनिश्चय किया गया है। इस हेतु वनमंडलाधिकारी, रायपुर द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	281 - 282																																
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण - प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। तदाशय का संबंधित वन मंडलाधिकारी का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	283 - 287																																
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण - प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। तदाशय का संबंधित वन मंडलाधिकारियों का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	288 - 292																																
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही - प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। तदाशय का संबंधित वन मंडलाधिकारियों का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	293 - 297																																
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र - स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता बाबत मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	298 - 300																																
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान - आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	301 - 305																																
23	रिक्लेमेशन प्लान - प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	306 - 310																																
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) - प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	311 - 315																																
25	व्यवस्थापन प्लान - यूजर एजेंसी का कथन है कि प्रस्तावित कार्य से कोई व्यक्ति/परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	316 - 320																																
26	(प्रपत्र I से IV तक) - वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तित होने वाली वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि के संबंध में भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार खैरागढ़ वनमंडल से संबंधित प्रपत्र भाग-I से भाग-IV में प्रस्ताव में दर्शित है। मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा एवं दिनांक निम्नानुसार है:-	321 - 379																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>वन वृत्त/वनमंडल का नाम</th> <th>स्थल निरीक्षण / अनुशंसा का दिनांक</th> <th>प्रस्ताव पृ. क्रमांक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त (नोडल)</td> <td>11.04.2023</td> <td>327</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त</td> <td>05.04.2023</td> <td>341</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ (नोडल)</td> <td>10.04.2023</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर</td> <td>15.11.2022</td> <td>344</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>वनमंडलाधिकारी, कोरबा</td> <td>14.02.2023</td> <td>351</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>वनमंडलाधिकारी, जाँजगीर-चांपा</td> <td>06.02.2023</td> <td>367</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>वनमंडलाधिकारी, रायगढ़</td> <td>05.04.2023</td> <td>371</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.	वन वृत्त/वनमंडल का नाम	स्थल निरीक्षण / अनुशंसा का दिनांक	प्रस्ताव पृ. क्रमांक	1	मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त (नोडल)	11.04.2023	327	2	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त	05.04.2023	341	3	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ (नोडल)	10.04.2023	330	4	वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर	15.11.2022	344	5	वनमंडलाधिकारी, कोरबा	14.02.2023	351	6	वनमंडलाधिकारी, जाँजगीर-चांपा	06.02.2023	367	7	वनमंडलाधिकारी, रायगढ़	05.04.2023	371	
क्र.	वन वृत्त/वनमंडल का नाम	स्थल निरीक्षण / अनुशंसा का दिनांक	प्रस्ताव पृ. क्रमांक																															
1	मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त (नोडल)	11.04.2023	327																															
2	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त	05.04.2023	341																															
3	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ (नोडल)	10.04.2023	330																															
4	वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर	15.11.2022	344																															
5	वनमंडलाधिकारी, कोरबा	14.02.2023	351																															
6	वनमंडलाधिकारी, जाँजगीर-चांपा	06.02.2023	367																															
7	वनमंडलाधिकारी, रायगढ़	05.04.2023	371																															

Kybul

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप																								
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र – आवेदक संस्थान कार्यपालन उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल (इण्डिया) लिमिटेड, तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) द्वारा 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ. सी. लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य के अंतर्गत मांग की गई वन भूमि 4.687 हे. एवं 0.516 हे. राजस्व वन भूमि (बड़े झाड़ का जंगल) कुल 5.203 हे. भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह, स्थल एवं मूर्ति नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, खैरागढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	380 – 384																								
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 28.06.2022 जो वन संरक्षण नियम 2022 से संबंधित है, के नियम 6 (ख) (ii) के प्रावधानों के तहत अंतिम चरण की स्वीकृति के पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	385 – 409																								
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा वर्ग कि.मी. में) – प्रकरण में प्रभावित हो रहे वनमंडल से संबंधित जिलों के कुल वनभूमि का रकबा निम्नानुसार है :-	410 – 414																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>वृत्त/वनमंडल</th> <th>जिले के वनभूमि का रकबा (वर्ग कि.मी. में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>खैरागढ़</td> <td>1305.51</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>बिलासपुर</td> <td>783.36</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>कोरबा</td> <td>2136.47</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>जाँजगीर-चांपा</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>रायगढ़</td> <td>1529.59</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.	वृत्त/वनमंडल	जिले के वनभूमि का रकबा (वर्ग कि.मी. में)	1	खैरागढ़	1305.51	2	बिलासपुर	783.36	3	कोरबा	2136.47	4	जाँजगीर-चांपा	2.50	5	रायगढ़	1529.59							
क्र.	वृत्त/वनमंडल	जिले के वनभूमि का रकबा (वर्ग कि.मी. में)																								
1	खैरागढ़	1305.51																								
2	बिलासपुर	783.36																								
3	कोरबा	2136.47																								
4	जाँजगीर-चांपा	2.50																								
5	रायगढ़	1529.59																								
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में- उक्त अधिनियम के अंतर्गत वनमंडलवार स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है:-	415 – 429																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>वनमंडल का नाम</th> <th>प्रकरण संख्या</th> <th>रकबा (हे. में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>खैरागढ़</td> <td>17</td> <td>219.242</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>बिलासपुर</td> <td>–</td> <td>723.378</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>कोरबा</td> <td>–</td> <td>1098.802</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>जाँजगीर-चांपा</td> <td>10</td> <td>476.539</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>रायगढ़</td> <td>69</td> <td>3829.683</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. में)	1	खैरागढ़	17	219.242	2	बिलासपुर	–	723.378	3	कोरबा	–	1098.802	4	जाँजगीर-चांपा	10	476.539	5	रायगढ़	69	3829.683	
क्र.	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. में)																							
1	खैरागढ़	17	219.242																							
2	बिलासपुर	–	723.378																							
3	कोरबा	–	1098.802																							
4	जाँजगीर-चांपा	10	476.539																							
5	रायगढ़	69	3829.683																							
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी के अंतर्गत व्यपवर्तीत वनभूमि के रकबे का विवरण निम्नानुसार है :-	430 – 434																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>वनमंडल का नाम</th> <th>प्रकरण संख्या</th> <th>रकबा (हे. में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>खैरागढ़</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>बिलासपुर</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>कोरबा</td> <td>1</td> <td>9.534</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>जाँजगीर-चांपा</td> <td>1</td> <td>0.387</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>रायगढ़</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. में)	1	खैरागढ़	–	–	2	बिलासपुर	–	–	3	कोरबा	1	9.534	4	जाँजगीर-चांपा	1	0.387	5	रायगढ़	–	–	
क्र.	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. में)																							
1	खैरागढ़	–	–																							
2	बिलासपुर	–	–																							
3	कोरबा	1	9.534																							
4	जाँजगीर-चांपा	1	0.387																							
5	रायगढ़	–	–																							

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप																																										
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी – आवेदित वन भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कोरीडोर स्थित नहीं है। पत्रक संलग्न है।	435 – 439																																										
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन – खनन का प्रकरण नहीं होने के कारण आवश्यकता नहीं है। पत्रक संलग्न है।	440 – 444																																										
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र– भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 28.06.2022 जो वन संरक्षण नियम 2022 से संबंधित है, के नियम 6 (ख) (ii) के प्रावधानों के तहत अंतिम चरण की स्वीकृति के पश्चात संबंधित कलेक्टर का प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	445 – 476																																										
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र – प्रकरण में वनमंडलवार प्रभावित हो रही राजस्व वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है इस हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र वनमंडलवार प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	477 – 494																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>जिले का नाम</th> <th>जिले के वन भूमि का रकबा (वर्ग कि.मी. में)</th> <th>अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>राजनांदगांव</td> <td>0.516</td> <td>27.12.2022</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>बिलासपुर</td> <td>0.019</td> <td>03.01.2023</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>कोरबा</td> <td>–</td> <td>09.02.2023</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>जाँजगीर-चांपा</td> <td>0.877</td> <td>19.01.2023</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>रायगढ़</td> <td>2.627</td> <td>10.02.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">योग –</td> <td>4.039</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			क्र.	जिले का नाम	जिले के वन भूमि का रकबा (वर्ग कि.मी. में)	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक	1	राजनांदगांव	0.516	27.12.2022	2	बिलासपुर	0.019	03.01.2023	3	कोरबा	–	09.02.2023	4	जाँजगीर-चांपा	0.877	19.01.2023	5	रायगढ़	2.627	10.02.2023	योग –		4.039															
क्र.	जिले का नाम	जिले के वन भूमि का रकबा (वर्ग कि.मी. में)	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक																																									
1	राजनांदगांव	0.516	27.12.2022																																									
2	बिलासपुर	0.019	03.01.2023																																									
3	कोरबा	–	09.02.2023																																									
4	जाँजगीर-चांपा	0.877	19.01.2023																																									
5	रायगढ़	2.627	10.02.2023																																									
योग –		4.039																																										
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र– यूजर एजेंसी द्वारा प्रत्याशा मूल्य की राशि जमा करने का वचन पत्र दिया गया है। आवेदित वनभूमि के साईट-क्वालिटी के आधार पर आवेदक संस्थान से निम्नानुसार प्रत्याशा मूल्य की राशि लिया जाना प्रस्तावित है।	495 – 501																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>वनमंडल का नाम</th> <th>वनभूमि का रकबा (हे. में)</th> <th>नारंगी वनभूमि का रकबा (हे.में)</th> <th>राजस्व वनभूमि का रकबा (हे.में)</th> <th>योग रकबा (हे.में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>खैरागढ़</td> <td>4.687</td> <td>–</td> <td>0.516</td> <td>5.203</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>बिलासपुर</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>0.019</td> <td>0.019</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>कोरबा</td> <td>–</td> <td>2.087</td> <td>–</td> <td>2.087</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>जाँजगीर-चांपा</td> <td>3.928</td> <td>–</td> <td>0.877</td> <td>4.805</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>रायगढ़</td> <td>0.949</td> <td>–</td> <td>2.627</td> <td>3.576</td> </tr> <tr> <td colspan="2">योग –</td> <td>9.564</td> <td>2.087</td> <td>4.039</td> <td>15.690</td> </tr> </tbody> </table>			क्र.	वनमंडल का नाम	वनभूमि का रकबा (हे. में)	नारंगी वनभूमि का रकबा (हे.में)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे.में)	योग रकबा (हे.में)	1	खैरागढ़	4.687	–	0.516	5.203	2	बिलासपुर	–	–	0.019	0.019	3	कोरबा	–	2.087	–	2.087	4	जाँजगीर-चांपा	3.928	–	0.877	4.805	5	रायगढ़	0.949	–	2.627	3.576	योग –		9.564	2.087	4.039	15.690
क्र.	वनमंडल का नाम	वनभूमि का रकबा (हे. में)	नारंगी वनभूमि का रकबा (हे.में)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे.में)	योग रकबा (हे.में)																																							
1	खैरागढ़	4.687	–	0.516	5.203																																							
2	बिलासपुर	–	–	0.019	0.019																																							
3	कोरबा	–	2.087	–	2.087																																							
4	जाँजगीर-चांपा	3.928	–	0.877	4.805																																							
5	रायगढ़	0.949	–	2.627	3.576																																							
योग –		9.564	2.087	4.039	15.690																																							
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	502 – 506																																										
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it – Soil Productivity Report संलग्न है।	507 – 511																																										
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र – वन भूमि में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।	512 – 516																																										

Handwritten signature

क्रमशः 7

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 – आवेदित वनभूमि में प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कार्य यथा निर्माण कार्य/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित नहीं किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	517 – 521
41	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण – प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 35000/- रुपये का डी.डी. जमा कराया गया है। जिसे चालान क्रमांक 17 दिनांक 29.09.2022 द्वारा वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के पी.डी. खाता 8443-106 व्यक्तिगत जमा में जमा कराया गया है। प्रति संलग्न है।	522 – 529
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत – प्रकरण पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन से संबंधित है। इसलिये वन्यप्राणी परियोजना से संबंधित अभिमत की आवश्यक नहीं है।	530 – 534
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण – प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	535 – 541
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण – प्रस्ताव में संलग्न है।	542 – 547

प्रकरण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र-4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र-5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्न: – प्रस्ताव 1 प्रति में।

K. Raju
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-09/2023/10-2
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08/05/2023

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़,।
 - 2.मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग/बिलासपुर वृत्त, छत्तीसगढ़।
 - 3.वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़/बिलासपुर/कोरबा/जांजगीर-चांपा/रायगढ़ वनमंडल, छत्तीसगढ़।
 - 4.आवेदक संस्थान, कार्यपालन उप महाप्रबंधक (परियोजना), गेल (इण्डिया) लिमिटेड, तेलीबांधा रायपुर छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

K. Raju
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग